बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में बृहस्पतिवार, तिथि ५ मई, १९६० को ८ बजे पूर्वाह्न अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

सत्र बढ़ाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श।

Discussion regarding extension of the Session.

अध्यक्ष—माननीय सदस्यगण बहुत उत्सुक होंगे यह जानने को कि सभा की बैठक कबतक चलेगी। आज का अनुभव हुआ है कि एक काम रोको प्रस्ताव भी आया है, और काम रोको प्रस्ताव का नियम है कि प्रश्नोत्तर के बाद लिया जाता है। ११ बजे से १२ बजे तक प्रश्नोत्तर का समय है। खैर, इसके सम्बन्ध में जो उचित होगा, करूंगा। कल भी सभा ८ बज से १२ बजे या १२-३० बजे तक चलेगी। कल के बाद कार्रवाई कितने दिनों के लिए बन्द रहेगी इस सम्बन्ध में मैं यह घोषणा कर देना चाहता हूं कि सोमवार, तिथि १६ मई, १९६० को फिर बैठक होगी।

श्री कार्यानन्द शर्मा—क्यों बन्द हो रहा है?

अध्यक्ष—नियम है कि अध्यक्ष जब चाहे सभा को खोल सकता है या बन्द कर सकता है, और अध्यक्ष के लिए कोई जरूरी नहीं है कि इसका कारण बतावे।

*श्री रामानन्द तिवारी—लेकिन हमारे अध्यक्ष यह भी देखेंगे कि जनता का पैसा कम-से-कम खर्च होना चाहिये और हमें विश्वास है कि हमारे अध्यक्ष इस बात को ध्यान में रखेंगे।

अध्यक्ष—विश्वास हटाइये नहीं। जब अविश्वास के प्रस्ताव को आपलोगों ने नामंजूर कर दिया, तो विश्वास तो है ही।

श्री रामानन्द तिवारी—विश्वास तो है। मैंने कार्यमंत्रणा समिति में कहा था कि सभा की बैठक ४ मई से आगे नहीं बढ़ायी जाये लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई और बैठक को २० मई तक बढ़ा दी गई। यदि अब और आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिये आपको अधिकार है मैं मानता हूं, तो १० दिन से कम के लिये बन्द करना मेरे विचार से बिहार राज्य की जनता के साथ उचित न्याय नहीं होगा। करीब

४० हजार रुपया अधिक खर्च होगा और चूंकि अब डेली एलाउऐंस (दैनिक भत्ता) १० रु० से बढ़ाकर १५ रु० कर दिया गया है, इसलिए और अधिक खर्च होगा। इस सम्बन्ध में सरकार को चाहिये था कि लीडर ऑफ ओपोजीशन को कनसल्ट करे और आपकी राय से यह होना चाहिये। हमलोग कोई ऐसा काम नहीं करें कि जनता के बीच यह भावना हो कि विधायक जो चाहते हैं वही मनमाना ढंग से करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि या तो आप सभा को बन्द न करें या करें तो अनिश्चित काल के लिये करें और फिर जुलाई में बैठें, लेकिन यदि बन्द करना ही है कुछ दिनों के लिये तो आप १५ दिनों के लिये बन्द कर दें, जैसा आवेदन-पत्र में लिखा हुआ है।

श्री यदुनन्दन झा—इस सदन का कार्यक्रम बढ़े या नहीं बढ़े लेकिन यह तय हो गया है कि समय बढ़ाया जायगा। इसलिये यह सवाल अब उठता नहीं है। माननीय सदस्यों ने बहुमत से पास कर दिया है कि सदन का कार्यक्रम बढ़ेगा।

अध्यक्ष—इसपर विचार हम करेंगे। अभी कल तक समय है और अध्यक्ष अपना निर्णय बदल भी सकता है।

विधान कार्य : सरकारी विधेयक :

Legislative Business : Official Bill :

बिहार लैंड रिफोर्म्स (फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड) बिल, १९५९ (१९५९ की बि० सं० १८)।

THE BIHAR LAND REFORMS (FIXATION OF CEILING ON LAND) BILL, 1959 (L. A. BILL NO. 18 OF 1959).

*श्री सभापति सिंह—अध्यक्ष महोदय, इस मौके पर सरकार ने जिस परिस्थिति में इस बिल को सदन के सामने रखा है और जो पहले परिस्थिति थी दोनों में बहुत बड़ा अन्तर हो गया है। आज से बारह वर्ष पहले इस सरकार की नीति थी सोशल वेलफेयर स्टेट की। उसके बाद कोऑपरेटिव कौमनवेल्थ की बात आयी और अब सोसलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की बात हुई तो पंडित जवाहर लाल नेहरू जी समाजवाद की बात करते हैं और उस रोशनी में हमलोगों को देखना है कि सही मामले में यह सरकार समाजवादी है या नहीं? समाजवाद का उद्देश्य क्या है शायद सरकार चलानेवालों को पता होगा............।

एक सदस्य—आपको पता है या नहीं?

श्री सभापति सिंह—इसीलिये तो बता रहा हूं कि आप जान लें। समाजवादी समाज में मानव का शोषण नहीं किया जाता है। उत्पादन के साधनों पर समाज का आधिपत्य होता है। इस बिल से, जिसको सरकार ने लाया है, इन दो मुख्य उद्देश्यों की पूर्त्ति नहीं होने जा रही है। कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि समाज की आर्थिक विषमता को मिटाने के लिये सिर्फ जमीन ऐसी नहीं है कि उसकी हदबन्दी कर देने से ऐसी विषमता मिट जायगी। मैं इसको मानता हूं। लेकिन सरकार आज यह नहीं चाहती है कि पूंजिपतियों की सम्पत्ति पर सीलिंग करे; अरबन एरिया (Urban area) में रहने वाले बड़े लोगों की आमदनी पर सीलिंग करे; पे स्केल निर्धारित करे। इसके आधार पर मैं यह कहूंगा कि जो सीलिंग हमारे सामने है इसको भी स्थगित कर दीजिये बल्कि आगे प्रयत्न हमको यह करना है कि दूसरे आमदनी वालों के ऊपर, जिनकी बड़ी आमदनी है, सीलिंग की जाय। सरकार गांधी जी की दुहाई देती है।

एक कांग्रेस सदस्य—ज्यादा आप ही दुहाई देते हैं।

अध्यक्ष—आपके कहने का मतलब है कि इंडस्ट्रियल इनकम पर भी सीलिंग की जाय। लेकिन इस बिल में वह नहीं है।

श्री सभापति सिंह—हमारा यह कहना है कि सरकार वह नहीं करती है तो इस बिल को स्थगित करने के बाद.............।

अध्यक्ष—स्थगित कर दें?

श्री सभापति सिंह—मैं यह कहता हूं कि इसको स्थगित करके दूसरा बिल लावें। इस तरह का बिल लायेंगे तभी सीलिंग कर सकते हैं। जिस रूप में यह बिल है सदन के सामने उससे कुछ होनेवाला नहीं है।

अध्यक्ष—तो आप अपनी राय की बात कहें कि सरकार को क्या करना चाहिये।

श्री सभापति सिंह—सरकार को हम राय दे रहे हैं। अब हिन्दुस्तान आजाद है, हमलोग आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं लेकिन सरकार का पहला काम होना चाहिये कि आर्थिक विषमता को मिटावें।

अध्यक्ष—सिद्धान्त की बात तो मान लिया गया है। अब काम की बात कीजिये।

श्री सभापति सिंह—मैं वही कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। जमीन का बंटवारा नहीं करने के पक्ष में कुछ लोग हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर जमीन का बंटवारा नहीं हो और एक आदमी के पास हजारों एकड़ ज़मीन हो और दूसरे के पास

कुछ भी नहीं हो तो क्या होता है? वोट के जमाने में जो दूसरों की जमीनलेकर जोतते हैं बटाई में उनको जमीन का मालिक जाकर कहता है कि तुम हमारीजमीन जोतते हो तो हम जिसको कहें उसको वोट दो। तो जिसको वह आदमी वोट (Vote) देना चाहता है उसको नहीं देता है। इसलिये मैं कहता हूं कि जमीन का बंटवारा होना जरूरी है। देखिये, गांधी जी क्या कहते हैं।

अध्यक्ष—गांधी जी की बात बहुत लोग कह चुके हैं, उसको छोड़िये।

श्री सभापति सिंह—लेकिन जिस ढंग से मैं कह रहा हूं उस तरह उन्होंने नहीं कहा है।

अध्यक्ष—वाद-विवाद कुछ गलत ढंग से चलता रहा है। बहुत लोगों ने बड़ा-बड़ा एक्सट्रैक्ट देकर और नोट देकर भाषण किया है और उसी तरह दूसरे लोग भी करना चाहते हैं।

श्री सभापति सिंह—मैं जो कह रहा हूं वह आपको भी सूट करेगा, अध्यक्ष महोदय इसलिये कि आप धार्मिक ख्याल के आदमी हैं.........।

अध्यक्ष—शान्ति, यहां धर्म की बात नहीं है। यह सभा धर्म निरपेक्ष है।

श्री सभापति सिंह—गांधी जी का कहना है:

"भूखा मानव ही मेरा ईश्वर है। कोटि-कोटि दीन-दुखियों के हृदय में बसने वाले भगवान............।

अध्यक्ष—ईश्वर की बात आप छोड़िये। जमीन के बारे में जो बात है उसको कहिये।

श्री सभापति सिंह—जरा सुन लिया जाय, अध्यक्ष महोदय।

कोटि-कोटि दीन-दुखियों के हृदय में बसने वाले भगवान के अतिरिक्त मैं अन्य किसी ईश्वर को नहीं मानता।

अध्यक्ष—आप जो जमीन के बारे में है वह कहिये।

श्री सभापति सिंह—दरिद्र के लिये अर्थ ही परम अध्यात्म है। भूख से पीड़ित लाखों-करोड़ों मनुष्यों पर और किसी बात का असर नहीं पड़ सकता। उनके आगे ऊंची-ऊंची बातें करना निरर्थक है। आप उन्हें भोजन दीजिये, तो वे आपको भगवान मानेंगे।

यानी मैं सरकार से कह रहा हूं कि गांधी जी का मत है कि लोगों के लिये सबसे पहले भोजन का इन्तजाम होना चाहिये जो सरकार नहीं कर रही है।

अध्यक्ष—ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं आपलोगों को बोलने में बाधा देता हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यह चाहता हूं कि हमारे सदस्य उत्तम वक्ता बनें और अच्छी तरह बोलें और ऐसा सुन्दर बोलें कि सार्वजनिक जीवन में वे एक ऊंचा स्थान पावें। इसलिये मैं आवश्यकता होने पर आपको बोलने से रोकता हूं।

श्री सभापति सिंह—मैं सरकार का ध्यान बिहार की भूमि व्यवस्था की ओर ले जाना चाहता हूं। यहां पर ८६ प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं। श्री विरेन्द्र श्रीवास्तव विद्या वाचस्पति का लिखना है कि––

(१) लगान पर गुजर करनेवाले—६ प्रतिशत।

(२) अपनी जमीन पर स्वयं या मजदूर से खेती करानेवाले—५५.२ प्रतिशत।

(३) भूमिहीन किसान—८.२ प्रतिशत।

(४) खेतिहर मजदूर—२२ प्रतिशत हैं।

यह भी देखा गया कि ज्यों-ज्यों भूमिहीनों की संख्या बढ़ती गयी, वैसे ही पैदावार घटती गयी। १९३१ की जनगणना के अनुसार सारे देश में खेतिहर मजदूरों की संख्या ३ करोड़ ३० लाख थी जो १९५१ में ४ करोड़ ४८ लाख हो गयी, अर्थात् बंटवारे के बाद भी १९५१ में खेतिहर मजदूरों की संख्या में २० प्रतिशत वृद्धि हुई और पूरे भारत में (पाकिस्तान मिलाकर) २३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कांग्रेस एग्रेरीयन रिफौर्म्स कमिटी का मत है कि भूमि व्यवस्था के अन्दर जमीन बेचने का निरंकुश हक के कारण गैर-किसानों के हाथ में जमीन का केन्द्रीयकरण होता गया। बिहार राज्य में खेती के लायक जमीन ३ करोड़ ३४ लाख ७० हजार एकड़ है। कुल जनसंख्या ३ करोड़ ४६ लाख है। अतः हर व्यक्ति के पीछे करीब एक एकड़ जमीन पड़ती है। यदि पांच व्यक्ति का परिवार माना जाय तो प्रत्येक परिवार को पांच एकड़ जमीन मिल सकती है। यदि खेती नहीं करनेवाले २ लाख ४७ हजार खेती से मुक्त कर दिये जायें तो प्रत्येक परिवार को ५ एकड़ से अधिक जमीन मिल सकती है। बिल में भी बुनियादी रकबा पांच एकड़ माना गया है। ऐसी हालत में जनसंख्या को देखते हुए बुनियादी आंकड़े को लागू करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उसमें लाभ भी है। पांच एकड़ में १५ मन के हिसाब से ७५ मन पैदावार होगी।

मवेशी वगैरह में सालाना खर्च ५०० रुपया होगा जो तीन मन के बराबर है जिसका सूद ३० रुपया होगा। इसमें प्रायः ६ मन बीज लगेगा। इसके अलावे मालगुजारी लगेगा जो १ मन की कीमत के बराबर हो सकता है। इसके अलावे सामान वगैरह में आध मन का दाम प्रायः लगेगा। कुल मिलाकर प्रायः १० मन हो जाता है। किसान के भरण-पोषण के लिये ६५ मन बच सकता है क्योंकि एक व्यक्ति के खाने में सालाना १० मन लगता है और इस तरह से पांच व्यक्तियों के खाने में ५० मन लग जायगा। जो बचेगा वह कपड़ा वगैरह के लिये काम में लाया जा सकता है।

हमलोगों ने सुझाव दिया है कि ५ आदमी का परिवार माना जाय और फी परिवार को १५ एकड़ जमीन दिया जाय और यदि पैदावार कम हो तो उसी अनुपात

में जमीन बढ़ा दिया जाय। हमलोगों ने जो सुझाव सरकार को दिया है उसको सरकार को मानना चाहिये। हमारी पार्टी ने जो सुझाव पहले दिया था उसके लिये सरकार ने अपनी आंख और कान दोनों मूंद ली। जमीन रबर नहीं है कि इसको बढ़ाया या घटाया जा सके।

अध्यक्ष—आप अपना सुझाव पीछे दीजियेगा। आपका समय हो गया।

श्री सभापति सिंह—अच्छी बात है। मैं बैठ जाता हूं।

श्री यदुनन्दन झा—अध्यक्ष महोदय, जमीन की सीमा की हदबन्दी का जो बिल माल-मंत्री ने पेश किया है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। लोग सोच रहे थे कि जमीन को हदबन्दी क्या होगी। जमीन की पैदावार को बढ़ाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दुनिया में सबसे बुरी बात यह है कि इन्सान को रोजी और रोटी न मिले। इन्सान को अगर रोजी और रोटी नहीं मिलती है तो उसको दुख होता है। दुनिया में जितनी भी क्रान्ति हुई हैं, जितने भी वातावरण पैदा हुए हैं सभी के पीछे यही कारण रहा है। जहां कल्याणकारी सरकार है उसका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इन्सान के लिए रोजी और रोटी का इन्तजाम कर दे। जनतांत्रिक सरकार का भी यही कर्त्तव्य हो सकता है। लेकिन लोगों को सिर्फ जमीन का बंटवारा कर देने से ही यह समस्या हल हो जायेगी ऐसा मैं नहीं समझता। बिहार में ४ करोड़ लोग हैं और बिहार में इतनी जमीन नहीं है कि यह समस्या हल हो जाय। अगर सरकार ऐसा समझती है कि जमीन का बंटवारा कर देने से ही सारी समस्या हल हो जायेगी तो मैं कहूंगा कि सरकार सारी जमीन को ले ले और बिहार के बसने वाले लोगों के लिए रोजी और रोटी, पठन-पाठन का तथा कपड़े का भी इन्तजाम कर दे। अगर ऐसा सरकार करती है तो हमलोगों को अपनी जमीन देने में कोई दुख न होगा। लेकिन इससे समस्या का निदान नहीं होगा। जमीन के बंटवारा करने के पहले सरकार को यह व्यवस्था करनी होगी। बिहार में कुछ लोग ऐसे हैं जो खेती भी करते हैं, नौकरी भी और साथ-ही-साथ व्यापार भी करते हैं। एक आदमी ये सारे काम करते हैं लेकिन दूसरी तरफ दूसरे आदमी को कोई रोजगार नहीं मिलता है। मेरा कहना है कि जब तक सरकार लोगों के लिए रोजी और रोटी का इन्तजाम नहीं करती है तब तक यह समस्या नहीं हल हो सकती है। सरकार को इस तरह की व्यवस्था करनी होगी जिससे एक ही व्यक्ति ये सारे काम नहीं कर सकें। बिहार में ४ करोड़ लोग बसते हैं और सभी की अलग-अलग समस्या है।

श्री कपिलदेव सिंह—आपके सामने कौन समस्या है?

श्री यदुनन्दन झा—हमारे सामने हमारी अपनी समस्या है। हमारे एक समाजवादी मित्र श्री बसावन सिंह ने जमीन की सीलिंग के लिए १५ एकड़ हदबन्दी रखा था। हम कहते हैं कि आपको रोकता कौन है आप जितना भी रखिए। आप विनोवा भावे को अपनी सारी जमीन दान में दे दीजिए। जो लोग १५ एकड़ की बात करते हैं उनके लिये वह सन्त झोली फैलाये बैठा है।

अध्यक्ष—मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। आप अपने अनुभव से बताइए कि कौन-सा ऐसा परिवार है जो कम-से-कम जमीन में बिना कुछ कर्जा लिए अपने परिवार को संभाल सकता है।

श्री यदुनन्दन झा—अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि इस जमीन के बंटवारे से जनता की समस्या हल होने वाली नहीं है। अगर जमीन की समस्या को ही तय तय करनी है तो मैं कहता हूं कि सरकार सारी जमीन को ले ले और बिहार के बसने वाले लोगों के लिए भरपेट भोजन और कपड़े का इन्तजाम कर दे। जनतांत्रिक सरकार का सबसे बड़ा काम यही होना चाहिए। अगर सरकार ऐसा करने के लिए तैयार है तो लोगों को जो कुछ कुरबानी करना पड़े, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे समस्या हल होने वाली नहीं है। अध्यक्ष महोदय, १९३४ में भूकम्प हुआ और भूकम्प होने के बाद जमीन की पैदावार में रद्दोबदल हो गयी। भूकम्प के पहले जहां एक एकड़ जमीन में ६०-६५ मन पैदा होता था वहां भूकम्प के बाद एक एकड़ जमीन में १० मन से ज्यादा पैदा होना मुश्किल हो गया। प्रकृति के प्रकोप की वजह से जमीन की पैदावार में कमी होती जा रही है। आज प्रकृति के ही प्रकोप से पौधे सूख रहे हैं और किसान परेशान हैं। किसान खेती तो करते हैं लेकिन उनको उसका फल नहीं मिलता है। प्रयोग तो बहुत हो रहा है जिसे उर्वरक प्रयोग, यान्त्रिक प्रयोग और जापानी मेथड का प्रयोग कहते हैं। लेकिन फल कुछ भी अच्छा नहीं होता है। इससे मालूम होता है कि इसमें कुछ खामियां हैं और अगर खामियां हैं तो इसके लिए अन्वेषण करना चाहिए जिससे पता चले कि आखिर कहां खामियां हैं। संसार में बहुत-से ऐसे देश हैं जो चान्द तथा सूरज पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने बहुत कुछ किया है लेकिन पानी के लिए उसको भी प्रकृति पर ही निर्भर रहना पड़ता है। प्रकृति का जो नियम है उसी के मुताबिक काम होगा। हर साल हम देखते हैं कि कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी सूखा हो जाता है। हमारे एक मित्र ने चीन और रसिया का जिक्र किया। चीन की सरकार विजेता के रूप में आयी, लेकिन हमारी सरकार विजेता के रूप में नहीं बल्कि लोकसेवा करने के लिए आयी। हमारी सरकार में बापू के सपूतों में से हैं इसलिए ये लोकसेवा का काम कर रहे हैं लेकिन जितने देश हैं वहां की सरकारें विजेता के रूप में सम्पत्ति का उपभोग कर रही हैं। हमारे एक मित्र ने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि मुट्ठी भर लोगों से सरकार जमीन ले और ज्यादे लोगों को जमीन दे दे। ग्रेट ब्रिटेन में सार्वभौम सत्ता पार्लियामेंट में है और हमारे यहां संविधान में है। उसकी अपनी विवेचना होती है, वह हर चीजों की बारीकी को देखती है और न्याय के साथ सरकार को चलना पड़ता है। जो टोटेलिटेरियन देश हैं, चाइना हो या रूस हो, उसकी स्थिति कुछ और है। वे डिक्टेटर की तरह सारे लोगों पर हावी होते हैं और लोगों को लाचारी मानना पड़ता है। हमारे देश की हालत विपरीत है, हमारी सरकार की भावना है लोगों का कल्याण करना और इस उद्देश्य के साथ लोगों को मिलाकर चलना पड़ता है और संविधान के अन्दर रहना पड़ता है। इन सारी कठिनाईयों के बीच हमारी सरकार जनकल्याण का काम करना चाहती है इसलिए इस तरह का विधेयक लाना नाजायज नहीं है इसलिए इसे जरूर पास होना

चाहिए। हमारे पंडित बिनोदानन्द झा जी ने बतलाया कि मिताक्षरा की पद्धति अगर नहीं मानते हैं तो मामला कंट्रोवर्शियल हो सकता है, कोर्ट में मामला जायगा, उधेड़-बुन होगी और यह मामला खटाई में पड़ जायगा।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न अब यह है कि यह हो कैसे ? मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि चार-पांच पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। कानून जो आप बनाते हैं उसमें जब तक नागरिकों का विश्वास नहीं होता वह कानून कागज पर सिर्फ लकीर जैसा है। आपको मालूम है कि इसी सदन में बटाईदारी कानून पास हुआ, लोगों ने समझा था इससे गरीबों को राहत मिलेगी लेकिन इसका परिणाम उल्टा हुआ। जिनके पास जमीन थी वे जोतकर खाते थे। एक तरह की समाजवादी बात थी और समाजवादी व्यवस्था थी। लंगड़े, लूल्हे, अपाहिज, सभी लोगों को मिताक्षरा लॉ के मुताबिक कुछ लोगों की सम्पत्ति में हिस्सा मिलता था और वे हक्कदार हिस्सा के थे। इस व्यवस्था के बाद जो जमीन के मालिक थे उनकी जमीन जोतकर कुछ लोग अपना जीवन बसर करते थे यद्यपि उनकी बड़ी तायदाद थी। लेकिन आंकड़े का जो दिग्दर्शन कराया गया है अब ऐसे लोगों की संख्या पांच परसेन्ट भी नहीं है। जमीन वालों ने सारी जमीन छीन ली और उनके सामने अब रोटी का सवाल पैदा हो गया है। कानून में खामियां होती हैं और कानून पर अमल करने वाले अगर ईमानदारी से अमल नहीं करते तो कानून बेकार हो जाता है। बटाईदारी कानून के सम्बन्ध में ऐसा ही हुआ। पूर्णिया में सर्वे हुआ, लोगों की सिकमी लिखी गई लेकिन उसके बाद रोजाना उनपर नालिश होती है। उनके जेबर बिक रहे हैं, घर गिरों रखा जा रहा है और एक भय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज बटाईदार को जो हक दिया गया था उनके सामने यह कानून अभिशाप के रूप में आ खड़ा हुआ है और बड़ी बेरहमी से उनकी जमीन छिनती जा रही है, लोग बर्बाद हो रहे हैं। जहां जमीन से लोगों की रोजी चलती थी आज वे दर-दर के भिखारी हो गये हैं। दो-सौ, चार-सौ, मन जो गल्ला पैदा किया करते थे वे आज मजदूर हो गये हैं। खेतिहर मजदूरों की दशा सबसे ज्यादा बदतर है यह किसी से छिपी बात नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि विधान इस तरह का हो जिसमें सारे लोगों का विश्वास हो और सारे लोग उसको अमल में लाने के लिए राजी हों नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि गरीबों की झोपड़ी की तरफ जरा ध्यान रखा जाय या कम-से-कम जो लोग किसी दूसरे की जमीन में आवास रखे हुए हैं उनको आजादी रहे। सरकार की तरफ से रसीद उन्हें देना चाहिए ताकि उन्हें रहने के लिए कम-से-कम छोटा सा रकवा उन्हें रहे।

दूसरी बात यह है कि जिन लोगों की बटाईदारी सिकमी दर्ज है उनको बिना दफा ३६९ और ४० के सरकार आदेश दे कि उन्हें रसीद दी जाय। क्योंकि गरीब लोग इस पेचीदी दुनिया में कचहरी की दौड़-धूप करते हुए खेती के काम कर पैदा नहीं कर सकते हैं। जैसाकि मैंने कहा कि पूर्णिया में सर्वे हुआ, लोगों की सिकमी लिखी गई लेकिन इसके बाद वे जमीन से बेदखल कर दिए गए, उनके बैल और जेबर बिक रहे हैं। इसलिए, मैं कहूंगा कि सरकार को अगर जनकल्याण का काम करना है और जनसेवा करनी है तो जो भी दो चार कट्ठा जमीन उन गरीबों के पास है उसपर अब दूसरे लोगों का अधिकार का प्रश्न नहीं आना चाहिए। नहीं तो जो लोग शान्ति से रहते हैं उनके दिल में अगर कुछ ऐसी भावना पैदा हुई और समाज में ऐसी मनोवृत्ति फैली तो हर इन्सान एक दूसरे को कत्ल करने को तैयार हो जायगा।

अध्यक्ष महोदय, हमारे कुछ दोस्तों ने कहा है कि रूस में गिलोटिन किया जाता है। बड़ी तायदाद में जो लोग नहीं मानते थ तो गिलोटिन किया जाता है। चाइना का भी हवाला दिया गया है कि जो लोग जमीन जोतते थे उनकी हदबन्दी नहीं की गई और जो विरोधी थे उनकी सारी जमीन ले ली गई लेकिन एक रुख कहीं नहीं रहा, न चाइना में और न रूस में। चाइना में व्यक्तिगत सम्पत्ति है, रूस में व्यक्तिगत सम्पत्ति है। रूस में व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने की छूट है। एकतंत्री स्वरूप न विधान का है और न लोगों के जीवन का।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी गैरमजरुआ जमीन थी उनपर अब गरीबों का हक नहीं है, जमींदारों ने सारी गैरमजरुआ जमीन बन्दोबस्त कर दी है जो गरीबों के लिए एक समस्या हो गई है। वे बेचारे जानवरों को कहीं खड़ा तक नहीं कर सकते, उनके सामने एक समस्या खड़ी हो गई है, जानवरों के पानी पीने के लिए जहां छूट थी वह नहीं रह गई है। सरकार को चाहिए पोखरा जो पटवन का साधन था और जितनी गैरमजरुआ जमीन जिसे जमींदारों ने बन्दोबस्त कर दिया है उसे सरकार अपने कब्जे में कर जानवरों के चारागाह और सिंचाई के लिए दे दे। मैंने देखा है कि पटुआ धोने के लिए भी किसानों से पैसे लिए जाते हैं और पटाने के लिए गरीबों को काफी पैसे देने पड़ते थे। सरकार यद्यपि पटवन की व्यवस्था कर रही है लेकिन वह इतनी नाकाफी है जिससे कुछ होना मुश्किल-सा मालूम होता है और आम लोगों की हालत कुछ अच्छी नहीं है।

दूसरी इस विधेयक के बारे में यह कहना चाहता हूं कि और-और प्रान्तों में इस सम्बन्ध में विधेयक पास किया है, हमारे पड़ोसी बंगाल सरकार ने २५ एकड़ की बात रखी है।

अध्यक्ष—श्री बिनोदानन्द झा इस बात का उत्तर दें कि पास्चर लैंड होना चाहिए और यह इस बिल में रेलिवेन्ट है?

श्री बिनोदानन्द झा—अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब उस जमीन से है जो किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति हो सकती है। पास्चर लैंड कम्युनिटी की चीज है, किसी व्यक्तिगत की चीज नहीं है। हम सिर्फ रेगुलेट करना चाहते हैं इनडिविजुअल ओनरशिप को कम्युनिटी के सम्बन्ध में नहीं। बल्कि अगर कम्युनिटी को इनडिविजुअल से जमीन लेकर देना पड़े तो हम ऐसा कर सकते हैं।

श्री यदुनन्दन झा—अध्यक्ष महोदय, किसी विधेयक को व्यावहारिक बनाना सरकार का काम है। हमारे मित्र ने जो टिप्पणियां दी हैं वे व्यावहारिकता से बहुत दूर हैं। हमारे विरोधी दल के मित्रों ने कहा है कि कांग्रेसी सदस्य ऐसे हैं कि जब हमारी सरकार कुछ जनमत के लिये काम करना चाहती है तो वे उन्हें करने से रोकते हैं। मुझे खेद है कि जब सरकार समाजवादी व्यवस्था को अपना रही है तो वे ऐसा क्यों कहते हैं।

श्री रामानन्द सिंह—इस प्रकार का स्टेटमेंट कभी नहीं दिया गया है।

श्री यदुनन्दन झा—लेकिन ऐसा जरूर कहा गया है कि कांग्रेसी सदस्यगण सरकार की समाजवादी व्यवस्था को कायम करने में मदद नहीं पहुंचाते हैं। हमारे देश में रसिया के जैसी समाजवादी व्यवस्था कायम नहीं हो सकती है और न होनी ही चाहिये क्योंकि हर देश का अपना स्वरूप होता है और अपनी संस्कृति होती है। अतः हिन्दुस्तान ऐसे देश में रसिया की नकल नहीं की जा सकती है। हमारे देश में मानव के प्रति या प्रत्येक जीव के प्रति समता और प्रेम के भाव का आदर्श है, रूस और चीन से हमलोगों को कुछ सीखना नहीं है। हम बहुत पहले सीख चुके हैं।

समाज की व्यवस्था के लिये जब पहले-पहल बंगाल में इस तरह का विधेयक लाया गया था वहां इस बात का स्पष्टीकरण किया गया कि जमींदारी की तरह जमीन का इतिहास नहीं है। कंपनियों ने जमींदारी ली और कुछ लोगों के साथ परमानेंट सेट्लमेंट कर दिया लेकिन ज़मीन के साथ ऐसी बात नहीं है। जमीन के जोतने वाले सृष्टि के आरंभ से ही जैसे-जैसे आबादी बढ़ती गयी, लोगों की जरूरतें बढ़ने लगीं, खेती का ढंग उनको मालूम होता गया वैसे-वैसे उन्होंने पहाड़ों और पत्थरों को काटकर खेती का काम करना शुरू किया। खेती करने वाले लोग बहुधंधी थे और अनेकों तरह के व्यवसाय करने लगे। कुछ लोग शाकाहारी थे, कुछ लोग फल खाकर रहते थे। आज जमीन पर इतना बोझ है क्योंकि सभी लोग जमीन चाहते हैं। आज जो बड़ी-बड़ी तनख्वाह पाते हैं, जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं, वे सभी जमीन चाहते हैं, जो खेती करना जानते भी नहीं हैं वे लोग भी जमीन चाहते हैं। एक आदमी सभी में हिस्सा लेना चाहे यह जनतंत्र सरकार के लिये खतरे की बात है।

इस बिल में पटवन के हिसाब से सीलिंग की व्यवस्था की बात है मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सिर्फ पानी की व्यवस्था पर उत्पादन निर्भर नहीं करता है। बालू की जमीन में यदि पानी दिया जाय तो मिट्टी की जमीन के समान वहां पैदावार नहीं हो सकती है। जमीन की पैदावार उसकी मिट्टी पर निर्भर करती है। मैं इस बात को जानता हूं क्योंकि मैं बराबर से खेती करता आया हूं।

अध्यक्ष—इसमें पैदावार का सिद्धांत सिंचाई पर ही माना गया है।

श्री यदुनन्दन झा—मैं कह रहा हूं कि वह गलत सिद्धांत है। यदि बालू की जमीन में पैदावार होती तो नदियों के किनारे बालू की जमीन में नदियों से पानी पटाकर पैदावार की जा सकती थी। पानी ही से उत्पादन बढ़ता है ऐसी बात नहीं है।

श्री लाल सिंह त्यागी—बालू सड़े तब मोती झड़े।

श्री यदुनन्दन झा—बालू तीन तरह का होता है। एक पहाड़ के टुकड़े का बालू, दूसरा नदी का बालू और तीसरा वह बालू जो मिट्टी में मिलकर सड़ता है। जहां पैदावार होती है पहाड़ के बालू से कोई फायदा नहीं है और गंगा के बालू में केवल ककड़ी की पैदावार होती है। हमलोग जानते हैं कि वर्षा के नहीं होने पर भी, जहां

की जमीन अच्छी है, गहरी है वहां पैदावार होती है। सिर्फ सिंचाई पर ही सीलिंग तय करना व्यावहारिकता से दूर रहना है। इसलिये सोआएल (Soil) पर सीलिंग होनी चाहिये।

इस सीलिंग में घर की जमीन, बाल-बच्चों पर छूट दी गयी है; लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चारागाह का कोई प्रबन्ध नहीं है। गांव के लिये चारागाह की जमीन सार्वजनिक होनी चाहिये, एक व्यक्ति के हाथ में यह नहीं होना चाहिये।

अध्यक्ष—चारागाह इस बिल के लिये असंगत है।

श्री यदुनन्दन झा—मेरे जानते जो इस बिल में खामियां हैं उनकी ओर मैं संकेत करता हूं। यहां लैंड रिफॉर्म की बात है इसलिये मैं इसे असंगत नहीं मानता हूं। जब जमींदार लोग जाने लगे तो इस तरह की जमीन को अपने नौकरों-चाकरों के नाम फर्जी बन्दोबस्ती कर दिये। इसी कारण सरकार की रेवेन्यु कम हो गयी है। सरकार को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिये। प्रत्येक परिवार के हिसाब से सीलिंग हो, इसपर काफी सदस्यों ने कहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बिहार में बसने वाले लोगों को जिस व्यवस्था से दोनों शाम भोजन और वस्त्र मिले तो बहुत अच्छा होगा।

सदन में बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही गई, क्रांति का हौआ दिखलाया गया, कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि यह हमारी क्रांति है लेकिन हमलोगों से क्रांति तो बड़ी दूर है। क्रांति तब होती है जब समाज जागरुक होता है, चेतन अवस्था में होता है, जहां एकतंत्र होता है। लेकिन हमारे यहां तो एकतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र की सरकार है इसलिए क्रांति का तो सवाल ही नहीं उठता है। क्रांति तब होती है जब कोई व्यक्ति मजबूरी की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है और अपने काम में सफलीभूत नहीं होता है। यहां तो ५ वर्ष पर लोग चुन कर आते हैं, जनता जिन्हें भेजती है वे ही आते हैं और वे ही आकर सरकार की व्यवस्था करते हैं। इन सारी चीजों को छान-बीन सरकार को करना चाहिए और तब जमीन की हदबन्दी की तायदाद को निश्चित करना चाहिए।

एक मित्र ने कहा है कि रांची, हजारीबाग पहाड़ी इलाका है, वहां सरकार बहुत जमीन ले सकती है और पहाड़ को काट कर खेती के लायक बना सकती है लेकिन सरकार ऐसा इसलिए नहीं करती है कि इसमें पैसे काफी लगते हैं।

उसके बाद गंगा में या और नदियों के बीच में दियारे की जमीन है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, आज किसी के पास हजारों बीघे हैं तो कल उसके पास एक धूर भी नहीं, ऐसा हुआ करता है, यहां की संपत्ति बिल्कुल अस्थायी है। ये सारी भूमि की समस्याएं हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हदबन्दी का रूप खड़ा करना चाहिए ताकि स्वतंत्र शासन का असली रूप मिल सके।

श्री गंगानाथ मिश्र—अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत बिल के ऊपर जो माननीय सदस्य

राम चरित्र बाबू का संशोधन पेश है कि इसे जनमत जानने के लिए परिचारित किया जाय, इस प्रस्ताव का समर्थन करने में तो मैं सर्वथा असमर्थ हूं, अब रह गई बात कि सरकार की ओर से प्रस्ताव है कि इसको सेलेक्ट कमिटी में भेजा जाय जिसका समर्थन करना ही आवश्यक हो गया है। लेकिन इसमें भी एक बात है। इस बिल का प्रावधान

दयनीय है, यह अपने रास्ते से भटक गया है। जहां तक यह भटक गया है वहां तक सरकार को सही, दुरुस्त और निश्चित चेतावनी देना और सही, दुरुस्त और निश्चित सुझाव देना भी मैं आवश्यक समझता हूं। जंगल में होकर जो सड़क जाती है वह दुरूह और खतरेनाक होती है और थोड़ा सम्भल कर उसपर चलना होता है। जंगल के सही और दुरुस्त सड़क पर चलने के लिए यदि कोई यात्री यात्रा करे और वह थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद सड़क छोड़ दे और सड़क छोड़ कर जंगल के बिना सड़क दुरूह रास्ते पर चला जाय तो बड़ा खतरेनाक हो जाता है। उसी तरह यदि कोई निर्मल जल में स्नान करने के लिए नदी पर पहुंच कर धारा में नहाने के बदले रेत पर लोटना शुरू कर दे तो यह भी दुःखद चीज है। इस बिल के संबंध में भी इसी तरह की स्थिति है।

इस बिल को मैंने कई दफा गौर से पढ़ा और देखा तो देखते-देखते हमें ऐसा लगा कि विशेषतः यह बिल जिसे बिहार लैंड रिफौर्म्स (फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड) बिल, १९५९ कहा जाता है वह बिहार लैंड रिफौर्म्स (प्रिवेन्शन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड) बिल, १९५९ है। मैं इसका प्रमाण दे रहा हूं कि किस प्रकार यह बिल फिक्सेशन ऑफ सीलिंग के बदले प्रिवेन्शन ऑफ सीलिंग बिल हो गया है। होल्डर की परिभाषा इसमें स्पष्ट है, इसके बारे में मैं पीछे कहूंगा। प्रथम श्रेणी की जो जमीन है वह एक परिवार में १३० एकड़ दूसरी श्रेणी की जमीन १७५ एकड़, तृतीय श्रेणी की जमीन २२० एकड़ और चौथी श्रेणी की जमीन २६५ एकड़ आप दे रहे हैं।

अध्यक्ष—हिसाब बताएं, किस तरह?

श्री गंगानाथ मिश्र—प्रथम श्रेणी की जमीन ३० एकड़ सीलिंग के नाम पर, १० एकड़ घर के नाम पर, ३० एकड़ बागीचा के नाम पर और एक्सट्रा डिपेन्डेन्ट के लिए ६० एकड़, सब मिला कर १३० एकड़ हुआ। फिर उसी तरह दूसरी श्रेणी की जमीन ४५ एकड़ सीलिंग के नाम पर, १० एकड़ घर के नाम पर, ३० एकड़ बागीचा के नाम पर और एक्स्ट्रा डिपेन्डेन्ट के लिए ६० एकड़ सब मिला कर १७५ एकड़। फिर तृतीय श्रेणी की जमीन ६० एकड़ सीलिंग के नाम पर, १० एकड़ घर के नाम पर, ३० एकड़ बागीचा के नाम पर और एक्सट्रा डिपेन्डेन्ट के नाम पर १२० एकड़, सब मिला कर २२० एकड़ हो जाता है। इसी प्रकार चौथी श्रेणी की जमीन ७५ एकड़ सीलिंग के नाम पर, १० एकड़ घर के नाम पर, ३० एकड़ बागीचे के नाम पर और १५० एकड़ एक्सट्रा डिपेन्टडेन्ट के नाम पर देते हैं जो सब मिला कर २६५ एकड़ हो जाता है। फिर हुजूर, पांचवीं श्रेणी की जमीन की हालत यह है कि ९० एकड़ सीलिंग के नाम पर, १० एकड़ घर के नाम पर, ३० एकड़ बागीचे के नाम पर और डिपेन्डेन्ट के नाम पर १८० एकड़ यानी ३१० एकड़ जमीन मिलेगी। एक होल्डर को आप १३० एकड़ एक नम्बर की जमीन देने को तैयार हैं। इस फीगर को देखने पर और हमारे चीफ मिनिस्टर के जो उद्गार हैं उनको देखने पर काफी अंतर मालूम पड़ता है। मैं चीफ मिनिस्टर के उद्गार की कुछ पंक्तियां पढ़ देना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी ने कुछ वर्ष पूर्व भूदान यज्ञ की एक सभा में भाषण करते हुए कहा था :—

"लेकिन दुःख यह देखकर होता है कि जो खेती कर सकते हैं, उन्हें जोतने के लिए जमीन नहीं, और जिनके पास जमीन है वे उसको जोतते नहीं। लेकिन जमीन

की भूख सब को है। जो दूसरे पेशे में शहर में लगे हैं, वे भी गांव में जमीन ही खरीदना चाहते हैं। जिन्हें एक हजार बीघा जमीन है वे इसे दो हजार बीघा बनाना चाहते हैं। बहुत पहले तो लोग लाख-लाख बीघे तक जमीन रखते थे और मिहनत करने वाले जानवरों की तरह उसपर काम करने के लिए मजबूर किए जाते थे। लेकिन ज्यों-ज्यों लोगों में समझ आती गयी, ये बातें दूर होने लगी। आज अपने देश में बड़ी-बड़ी विकट समस्याएं हैं। आप अन्दाज नहीं कर सकते हैं कि आपके ही गरीब भाई आज क्या-क्या खा-पीकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे एक हरिजन एम०एल०ए० दोस्त ने यहां तक बताया कि कुछ लोग गरीबी के मारे मृत जानवरों का मांस सुखाकर वर्षा के दिनों में खाने के लिए रखते हैं। अब आप ही सोचें कि इस स्थिति में समाज में क्या हो सकता है। कोई भी आदमी ऐसे समाज में रह कर सुखी नहीं रह सकता। तो, बिल्कुल स्वार्थ की दृष्टि से भी हमको जमीन की समस्या का हल करना ही होगा।

आगे इन्होंने कहा :

"राजे महाराजे गए, जमीन्दार भी चले गए, अब तो दो तीन सौ बीघे वालों की ही बारी है। सरकार जल्द ही जमीन की सीलिंग निश्चित करने जा रही है।"

कहने का यह मकसद है कि जिनके पास दो तीन सौ बीघा जमीन है उनसे जमीन लेकर जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन देने की बात कही गई है लेकिन हुजूर इस फीगर से जो मैंने बताया एक-एक आदमी को करीब-करीब ३०० बीघा जमीन रखने की छूट मिल जाती है। उसी तरह द्वितीय श्रेणी को १७५ एकड़ जमीन रहने देते हैं, तृतीय श्रेणी को २२० एकड़, चौथी श्रेणी को २६५ एकड़ और पांचवी श्रेणी को ३१० एकड़ जमीन रहने देने की छूट आप देते हैं।

श्री विनोदानन्द झा—मैं माननीय सदस्य के भाषण के विषय में सिर्फ इतना ही

कहना चाहता हूं कि उन्होंने प्रोवाइजो को छोड़ दिया है। प्रोवाइजो में साफ दिया हुआ है कि तीन गुणा से अधिक जमीन किसी हालत से नहीं हो सकती है, सीलिंग एरिया जो है उससे तीन गुणा से अधिक जमीन नहीं हो सकती है एक परिवार को।

श्री गंगानाथ मिश्र—खैर, १०-२० एकड़ का अन्तर हो सकता है, वही सही लेकिन

दो तीन सौ एकड़ वाली बात में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे एक पड़ोसी हैं जिनके पास १०० एकड़ जमीन थी। भूतपूर्व माल मंत्री श्री के० बी० सहाय के द्वारा एक बिल इस संबंध में पेश किया गया था और हमारे विनोवा भावे का प्रचार भी साथ-साथ चल रहा था और इस तरह की भावना लोगों के बीच फैल रही थी कि उनके पास अधिक जमीन है और जमीन दे देनी होगी। हमारे पड़ोसी महोदय ने भी सोचा कि ५० एकड़ जमीन हमें दे देनी होगी। ऐसा वे सोच रहे थे। और उन्होंने धड़ल्ले के साथ बहुत-सी जमीन बेचना शुरू किया, अन्य बहुत से लोगों ने जिनके पास अधिक जमीन थी बेचना शुरू कर दिया लेकिन अब इस बिल के ड्राफ्ट को देखने के बाद उन्होंने सोचा कि उन्हें पांच लड़के हैं और एक सौ एकड़ जमीन क्या वे ६०० एकड़ जमीन तक रख सकते हैं। (माननीय सदस्य ने पानी पीना शुरू किया)।

अध्यक्ष—यहां पानी पीना मना है।

श्री गंगानाथ मिश्र—खैर जो प्रोवाइजो है और अगर माननीय मंत्री ने जैसा कहा है उस हिसाब से भी अत्यधिक जमीन एक होल्डर के जिम्मे चली जाती है। एक दूसरा उदाहरण में आपको देता हूं। हमारे यहां एक राजा साहेब हैं, नारायण राजा साहब। उन्होंने तीन चार सौ रु० एकड़ जमीन बेचना शुरू किया था, कुछ लोग खरीद भी रहे थे लेकिन जिस दिन से यह ड्राफ्ट बिल निकला है राजा साहब की जमीन की कीमत एक हजार और दो हजार रुपया बीघा हो गयी। इससे पता चलता है कि जो पहले जमीन बेचना चाहते थे और कम जमीन रखने की प्रवृत्ति उनमें जगी थी इस बिल के आ जाने से उनको अधिक जमीन रखने का स्कोप मिल गया, अरोस-पड़ोस में गरीब लोग हैं जिनको जमीन बेचने की जरूरत पड़ती है। इस बिल के आधार पर बड़े लोग उनकी जमीन खरीद-खरीद कर और अधिक जमीन वाले होते रहेंगे। इस प्रकार से गरीबों को जमीन तो बेंचनी होगी और दूसरी तरफ भूमिपतियों और जमींदारों को छूट मिल रही है कि वे अधिक-से-अधिक जमीन खरीद सकें। इसलिये यह बिल सीलिंग नहीं तय कर रही हैं बल्कि सीलिंग को रोक रही है। सरकार को इसको देखना पड़ेगा।

मद्रास ने क्या सीलिंग फीक्स किया और उड़ीसा ने क्या किया है उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। साथ-ही-साथ उत्तर प्रदेश ने भी इस बिल को प्रवर समिति को भेजा था, उसकी क्या रिपोर्ट है उसको भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मद्रास की जो हालत है वही हालत बिहार की है। वहां की सरकार नहीं चाहती है कि सीलिंग फीक्स की जाय। वह तो ऐसा प्लानिंग कमीशन के जोर देने पर कर रही है। फिर जो हालत मद्रास की है और जो हालत उड़ीसा की है वही हालत बिहार की है। लेकिन फिर भी उनकी रिपोर्ट देखने से पता चलेगा कि यहां के बिल में और वहां के बिल में कितनी विषमता और असमानता है।

अध्यक्ष—क्या आप सेलेक्ट कमिटी में नहीं भेजना चाहते हैं।

श्री गंगानाथ मिश्र—मैं चाहता हूं कि यह बिल सेलेक्ट कमिटी में जाय इसलिये मैं सरकार को और भावी सेलेक्ट कमिटी के भावी सदस्यों को चेतावनी देना चाहता हूं। ये लोग जानें कि इस बिल का क्या रूप है और उनके बिल का क्या रूप है। यदि सरकार मेरे सुझाव को नहीं मानेगी तो निश्चय ही इसकी स्थिति हास्यास्पद हो जायगी।

अध्यक्ष—आप अपने स्पीच को खत्म करें।

श्री गंगानाथ मिश्र—मैं फीगर दे रहा हूं।

अध्यक्ष—सेलेक्ट कमिटी में दीजियेगा।

श्री गंगानाथ मिश्र—हो सकता है कि मैं उसमें नहीं रहूं।

अध्यक्ष—यदि आप नहीं होंगे तव जब यह बिल आवेगा तब बोलियेगा।

श्री गंगानाथ मिश्र—सरकार रास्ता छोड़ रही है इसलिये मैं उसको रास्ता बतला रहा हूं।

अध्यक्ष—जो हवाला आप देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कमिटी के लिये छोड़ दीजिये।

श्री गंगानाथ मिश्र—मैं सिर्फ दो चार शब्द कहना चाहता हूं और इनको कह कर मैं अपना स्पीच खत्म कर दूंगा।

मैं उत्तर प्रदेश के सीलिंग बिल पर प्रवर समिति की रिपोर्ट की बात आपके सामने रख रहा हूं।

वहां पांच आदमियों के एक परिवार के लिये ४० एकड़ रखा गया है तथा परिवार के ४ से अधिक सदस्यों के लिये प्रति सदस्य ८ एकड़ और फी दर से अधिक-से-अधिक २४ एकड़ और रखा गया है और यह भी प्रोविजन रखा गया है कि यदि परिवार की तायदाद काफी होगी तो सरकार अधिक दी गयी जमीन वापस ले लेगी।

अध्यक्ष—बिक्री का हक तो नहीं है।

श्री गंगानाथ मिश्र—जी हां, बेचते लोग क्यों हैं इसलिये कि उनको आवश्यकता होती है रुपए की जो दूसरी जगह से नहीं मिल पाता है। बेचने का हक नहीं रहे यह तो एक प्रकार से अच्छी बात है। यू०पी० सरकार ने सहकारिता को इतना काफी बढ़ाया है कि वहां के लोगों की सभी जरूरतें इसके द्वारा पूरी हो जाती हैं और इसलिये जमीन बेचने का सवाल नहीं उठता। लेकिन यहां तो हम बहुत पीछे हैं। यू०पी० के कानून में चीनी मिल और जीरात जमीन को एक्जेम्प्ट नहीं किया गया है, लेकिन यहां तो केवल चम्पारण जिला में इस कानून के जरिए चीनी मिलों के पास ६०,००० एकड़ जमीन उनके हाथ में रह जायगी। यू०पी० में मकान के लिये उतनी ही जमीन छोड़ी जायगी जितनी में मकान हो, लेकिन यहां आपने मकान के नाम पर १० एकड़ जमीन छोड़ दी है। जो बिल १९५७ में श्री के०बी० सहाय ने पेश किया था उससे भी यह बिल खराब है। उस बिल में २० से ७५ एकड़ का सीलिंग विभिन्न प्रकार की जमीन के लिये रखा गया था और मुआवजा ७५, ५० और ३० रुपये प्रति एकड़ विभिन्न स्थिति के लिये रखा गया था। लेकिन इस बिल में तो ही के० बी० सहाय के फी एकड़ मुआविजे की दर ७५ के बदले में बारह सौ और ५० के बदले में ८ सौ और ३० के बदले में ६ सौ और २५ के बदले में ४ सौ फी एकड़ मुआवजा रखा गया है। के०बी० सहाय के बिल में और इस बिल में बहुत बड़ी विषमता हो जाती है। उत्तर प्रदेश को, उड़ीसा को या अन्य प्रान्तों को छोड़ दीजिये। के०बी० सहाय का बिल मालूम होता है कि इस प्रान्त के लिये वेद मंत्र था, उस बिल को बनाने में हमारे मुख्य मंत्री का पूरा हाथ था और वह सेलेक्ट कमिटी में भी भेजा गया था। सेलेक्ट कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई थी। फिर वह सदन में पेश होनेवाला था। तब जाकर उसका गलाघोंट दिया गया।

ठाकुर गिरिजानन्दन सिंह—एक पांचवी श्रेणी थी जिसको आप भूल गये, तीन सौ बीघे की।

श्री गंगानाथ मिश्र—अभी जो बिल प्रस्तुत किया गया है उसके सम्बन्ध में योजना कमीशन ने सरकार के पास कुछ इन्स्ट्रक्शन्स भेजे हैं। उनका कहना है कि जो बिल सरकार ने प्रस्तुत किया है वह योजना कमीशन की समझ में अच्छी नहीं है। योजना कमीशन का कहना है कि उसके सिद्धान्त की अवहेलना की गयी है। इसलिये योजना कमीशन ने एक सजेशन भेजा है। अतः इस सदन में जितने समाजवादी विचार के लोग हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा और सरकार से कहूंगा कि जो सजेशन योजना कमीशन ने दिये हैं उसको सदन के सामने पेश किया जाय और अखबारों में दिया जाय। कम-से-कम सदन के सामने रखा जाय क्योंकि योजना कमीशन के सजेशन से बिहार की जनता संबंधित है और उस चीज को प्रकाश में लाना आवश्यक है। अगर बिहार में इस बिल को सही तरीके से लाना चाहते हैं तो मुख्य मंत्री से मैं कहूंगा कि के०बी० सहाय के बिल को इसकी जगह पर लाने दें। यों तो सारी शक्ति हमारे चीफ मिनिस्टर के हाथ में है। वे मुख्य मंत्री हैं और जो कुछ चाहेंगे वही होगा और इससे भी आठ गुणा लिबरल बिल बनाकर बेजमीन वालों के लिये लावें तो वह भी पास हो सकता है। लेकिन होगा क्या? होगा यही कि और स्टेट्स की तुलना में आप गिर जायेंगे। आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिये जितने माननीय सदस्य हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वे इस बात पर जोर दें कि के०बी० सहाय का बिल लाया जाय इस बिल के बदले में और इस बात को रेकर्ड किया जाय कि के०बी० सहाय ने जिस वक्त बिल पेश किया था बिहार में सीलिंग बिल लाने के लिये मौजूं वक्त वही था। के०बी० सहाय का बिल सेलेक्ट कमिटी में भेजा गया लेकिन अपौरचुन मोमेंट पर उसका गला घोंट दिया गया। मैं जानता हूं कि मुख्य मंत्री के हृदय में करूणा है, दया है और मोह भी है। लेकिन वह करूणा, वह दया, वह मोह केवल जमीन वालों के लिये ही क्यों है, पक्का मकान रखने वालों के लिये ही क्यों हैं? उनकी करूणा, उनकी दया तो होनी चाहिये थी झोपड़ी में रहने वालों के लिये और जो बेजमीन हैं, बेघर के हैं उनके लिए के०बी० सहाय का ही बिल ऐसा था जिसको कहा जा सकता है कि एक सुन्दर बिल था। लेकिन मोह में पड़कर अमीरों के लिये मुख्य मंत्री ने उसको खत्म कर दिया। मैं समझता हूं कि के०बी० सहाय का नाम बिहार में बहुत समय तक उस बिल के लिये याद किया जायगा। (मेम्बरों द्वारा मेज पर थपथपी) इसलिये मैं कहता हूं कि के०बी० सहाय के बिल को इस बिल के बदले में लाया जाय और इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल के सेलेक्ट कमिटी में भेजे जाने के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। मैं आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य-गण इसपर विचार करें।

श्री मेदनी पासवान—अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा उपस्थित भूमि हदबन्दी विधेयक की भावना का स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद यह विधेयक इस सदन में उपस्थित है विचार करने के लिये। इसकी निस्बत देहात के छोटे-छोटे किसान और जमीन पर काम करने वाले मिहनत कर मजदूरों ने तरह-तरह की कल्पनाएं की थी, तरह-तरह की उम्मीदों को पाल रखा था और उनको

उम्मीदें कोई निराधार नहीं थीं। उनको इस बात का विश्वास था कि उनके नेता, राज्य के कर्णधार संवेदनशील सहृदय और पौरुषवान व्यक्ति हैं इसलिये उनके सुदृढ़ एवं सबल नेतृत्व में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, और खासकर आर्थिक क्षेत्र में व्याप्त भेदासुर का संहार होगा और यह भूमि हदबन्दी विधेयक उस सुर संहार के लिये बढ़ते हुये द्वितीय चरण है।

अध्यक्ष महोदय, यह सीलिंग विल कई पहलुओं से महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि यह सामाजिक न्याय के लिये दरवाजा खोल देता है। अब गरीब भी यह समझने लगेगा कि सामाजिक न्याय का अधिकारी वह भी है। यह विचारों में एक क्रान्तिकारी परिवर्त्तन लाता है। जमीन और सम्पत्ति संबंधी हमारी रूढ़िगत मान्यताओं को ध्वस्त कर एक नवीन समयानुकूल मान्यता की स्थापना करता है। लोगों को यह समझने के लिये संकेत करता है कि समाज की प्रगति एवं कल्याण के लिये व्यक्तिगत पूंजी और जमीन का सामाजीकरण करना ही न्यायसंगत है।

इसका दूसरा पहलू है कृषि उत्पादन में विकास। अभी जमीन के बड़े-बड़े चकलों पर उन्हीं लोगों का अधिकार है जो या तो बड़ी-बड़ी नौकरियों में रहते हैं और मोटी-मोटी तनख्वाह पाते हैं या उनका अधिकार है जो कल-कारखाने में रहते हैं, उद्योग धंधे चलाते हैं। ऐसे भूपतियों को जमीन से कोई ताल्लुक नहीं। फिर भी अपनी अतिरिक्त आमदनी के लिये ये जमीन पर सांप की तरह कुंडली मार कर बैठे हुए हैं और उत्पादन के विकास को अवरुद्ध कर देश को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी तरह के वे बड़े-बड़े भूपति हैं जो किसी कदर जमीन को चीर चार कर कुछ छींट देते हैं और कटनी के समय कटवा लेते हैं। लेकिन चूंकि उनके पास बहुत ज्यादे जमीन है इसलिये उन्हें जरूरत से ज्यादा अनाज हो ही जाता है। यह बात और है कि प्रति बीघा के हिसाब से यह उपज बहुत कम है।

यह विल ऐसे ही लोगों के पंजों और जबड़ों से धरती माता के उद्धार करने की कल्पना करता है और उसे धरती के सच्चे सपूत को उसकी समुचित सेवा के लिये सौंपना चाहता है।

तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है आर्थिक विषमता को संभवतः दूर कर एक भौतिक और आर्थिक आवेष्टन प्रस्तुत करना जिससे लोगों के नैतिक तथा चारित्रिक ह्रास को रोकने में सहायक हो सके। आज जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार बेईमानी और खूंरेजी व्याप्त है। लोगों का लोभ सुरसा के बदन की तरह बढ़ता जा रहा है। यह विल उनके बढ़ते हुए लोभ पर भी बहुत हद तक सीलिंग लगा कर देखा। अनुभव बतलाता है कि नौकरी पेशा में भ्रष्ट लोग घूस लेकर जमीन खरीदते हैं और फिर जमीन हो जाने पर वे और निर्भीकता के साथ घूस लेते हैं क्योंकि उन्हें तो इस बात का घमंड हो जाता है कि यदि वे घूस लेने में पकड़े भी जायेंगे और बदकिस्मती से बरखास्त भी हो जायेंगे तो फिर अपनी जमीन पर आ जायेंगे, उन्हें परवाह ही क्या है।

ये ही कुछ महत्वपूर्ण पहलुएं हैं जमीन पर हदबन्दी करने के सम्बन्ध में। इसके अलावे प्लानिंग कमीशन ने हदबन्दी के चार उद्देश्य बताये हैं......

अध्यक्ष—माननीय सदस्यों को अपनी ही जगह पर बैठना चाहिये। ऐसा न करना

निन्दनीय है। सब अपने-अपने स्थान पर चले जायें।

श्री मेदनी पासवान—मैं कह रहा था कि हदबन्दी के चार उद्देश्य हैं :—

(1) Meeting the wide-spread desire to possess land;
(2) reducing glaring inequalities in ownership and use of land;
(3) reducing inequalities in agricultural incomes; and
(4) enlarging the sphere of self-employment.

जब मैं सीलिंग बिल के पन्नों में प्रवेश करता हूं तो पाता हूं कि प्लानिंग कमीशन की इस भावना का आदर नहीं हुआ है वरन् उसकी उपेक्षा की गयी है। इस बिल को देखने से तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह बिल स्वतः आन्तरिक भावना से प्रेरित होकर नहीं प्रत्युत लाजे लिहाज से अथवा ऊपर के दबाव से इसकी रचना की गयी है तभी तो यह बिल शूद्रों के लिये लाल पताका सा बन जाता है और इससे ज्यादे श्रद्धेय झा जी से जो इस बिल के पायोनियर हैं, और जिन्होंने पहले के सीलिंग बिल को, जो सहाय जी द्वारा पेश हुआ था, और जैसा कि मुझे विभिन्न सूत्रों से मालूम हुआ है, हरबोंग बिल की संज्ञा दी थी। उम्मीद भी नहीं की जा सकती है।

श्री विनोदानन्द झा—अध्यक्ष महोदय, जिस बिल के बारे में यह कह रहे हैं, मैंने कभी हरबोंग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आप इस सभा के सदस्य हैं और सदस्य होने के नाते आपको जानना चाहिए कि जो बिल पेश होता है वह किसी के द्वारा पेश नहीं होता है बल्कि कौन्सिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीशन पर पेश होता है।

श्री मेदनी पासवान—यह बिल विलम्ब से सदन में पेश किया गया और यही श्रद्धेय झा जी की पुनीत मंसा भी थी कि जो जमीन वाले हैं, जो भूपति हैं उनको काफी मौका दिया जाय कि वे अपने भाई भतीजे, नाती-पोते तथा सगे-सम्बन्धियों में स्वतः सीलिंग का हिसाब-किताब ठीक कर लें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अब इस तरह की बात को लोग समझने लग गए हैं। गरीबों की आह बहुत मोटी होती है। उनलोगों में सहज बुद्धि की कमी नहीं है, वे प्रबुद्ध हो चले हैं। वे अब लाल पतरा को समझने भी लगे हैं।

श्री विनोदानन्द झा—ईमानदारी का तकाजा यह है कि माननीय सदस्य जब इस तरह का भाषण दे रहे हैं तो वे सेलेक्ट कमिटी के प्रस्ताव का डटकर विरोध भी करें।

श्री मेदनी पासवान—इसलिये मैं सरकार से विनम्र आग्रह करूंगा कि सरकार मुट्ठी भर भूपतियों के फेरे में न पड़कर, मुट्ठी भर अमीरों के चक्कर में न फंस कर गरीबों की आह को न लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार को अपनी कुछ तुच्छ सलाहें देना चाहता हूं वह यह है :—

(१) प्लानिंग कमीशन द्वारा हदबन्दी संबंधी अभिव्यक्त उद्देश्यों का सरकार आदर करे।

(२) सन्त विनोवा द्वारा हाल में प्लानिंग कमीशन के सदस्यों को दी गयी सलाह सरकार द्वारा यथा सिंचित जमीन का पांचवां भाग सरकार ले ले और उसे भूमिहीन कृषक परिवार में बांट दे, सरकार स्वीकार करे।

(३) १९५६ के बाद से सीलिंग से ऊपर वाली जमीन के सम्बन्ध में दिखाई गयी बेची, बंटवारा और फरजी को सरकार रद्द कर दे।

(४) एबसेन्टी लैंडलौर्ड की सारी जमीन को सरकार नाममात्र का मुआवज़ा देकर ले ले।

(५) भूपतियों की ली गयी जमीन की कीमतें सरकार स्लैब सिस्टम में दे।

(६) हरिजन विधायकों द्वारा सरकार के पास प्रेषित इस सम्बन्ध की सलाहों पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करे और उसे स्वीकार करे।

अन्त में इन चन्द सुझावों के साथ प्रस्तुत सीलिंग बिल की निहित भावना के प्रति अपनी सहमति प्रकट करता हूं और सरकार को इस साहसपूर्ण कदम के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री बिनोदानन्द झा—जो भावना आपने प्रकट किया है उससे यह सामन्जस्य नहीं

रखता है।

श्री मिश्री सदा—अध्यक्ष महोदय, जो सीलिंग बिल सभा में प्रस्तुत किया गया है

उस बिल की बहुत दिनों से खोज हो रही थी और जिसको सरकार ने प्रस्तुत किया है, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। इस सीलिंग बिल के साथ मेरी सहमति है। मैं समझता हूं कि सरकार जनता के कल्याण के लिए सामाजिक भलाई के लिए ही इस बिल को प्रस्तुत किया है। हमारी यह सरकार मंगलकारी सरकार है और जनकल्याण की भावना से प्रेरित होकर ही इस सीलिंग बिल को प्रस्तुत किया है। इस सीलिंग बिल के अन्दर दो भावना काम कर रही है अथवा इसके दो मकसद हैं।

जमीन से उपज की वृद्धि हो जिससे राष्ट्र की सम्पत्ति में वृद्धि हो।

दूसरी बात यह थी कि जमीन में जो काम करनेवाले हैं, भूमिहीन हैं, उन्हें जमीन मिले। जहांतक राष्ट्र सम्पत्ति या उत्पादन का संबंध है, सरकार ने यह सोचा कि वैसी हालत में ही अन्न की वृद्धि हो सकती है जबकि जमीन पर अधिकार जमीन में काम करनेवालों का हो। क्योंकि जो जमीन में काम करते हैं, पसीना और मेहनत उसमें लगाते हैं उन्हीं को जमीन से मुहब्बत हो सकती है और जो जमीन में काम नहीं करते उन्हें कोई मुहब्बत जमीन से नहीं होती। इसलिए वे राष्ट्र की सम्पत्ति के विकास की बात क्या सोच सकते हैं। इस प्रकार सरकार के सामने राष्ट्रीय हित की बात यह है कि उपज बढ़े, जिससे दूसरे मुल्कों से अन्न नहीं मंगाना पड़े इसीलिये इस तरह का बिल लाया गया है। लेकिन जो बिल का मकसद है वह इस बिल से पूरा नहीं हो सकता। इस बिल में जो प्रोवीजन है उसके द्वारा यह मकसद नहीं पूरा हो सकता है।

दूसरी बात यह कि बिल में यह जो प्रोवीजन है कि इतनी जमीन एक व्यक्ति के जिम्मे रहेगी इससे भी यह साफ जाहिर है कि किसी को भी जमीन आप नहीं दे सकते। जहां तक भूमिहीन की बात है मैं समझता हूं यह जो बिल प्रस्तुत है इनसे उसके लिए कुछ होनेवाला नहीं है। इसके जरिए सरकार को न जमीन मिलेगी और न भूमिहीन

को आप दे सकते हैं। वस्तुत: यह होनी चाहिये कि जमीन में जो काम करते हैं और अपना खून पसीना एक करके अन्न पैदा करते हैं उनका अधिकार जमीन पर हो और जो लोग जमीन से संबंध नहीं रखते उनका अधिकार नहीं होना चाहिये। अगर आप चाहते हैं कि समाज को सामाजिक न्याय मिले, समाज के साथ आप इंसाफ करें तो मैं समझता हूं कि जो सरकारी पार्टी है और जिसने मैनिफेस्टो में जो डिक्लेयर किया उसके मुताबिक चलना चाहिए। आपने जो समाजवादी समाज और सामाजिक पद्धति की घोषणा की है मैं नहीं समझता कि इस बिल के द्वारा उन सामाजिक भाव-नाओं की पूर्त्ति हो सकेगी। मौजूदा बिल के जरिये सरकार को जमीन नहीं मिल सकेगी इसलिए कि इस बिल का इतना हल्ला हो गया और इतनी देर इसके लाने में सरकार ने लगाई कि लोगों ने अपना हिसाब-किताब बैठा लिया। अगर सरकार की मंशा थी कि समाज को सामाजिक न्याय दें तो इस बिल को पहले लाना चाहिए था और जब लाया गया तो ऐसा प्रोवीजन होना चाहिए था जिसमें भूमिहीनों को जमीन मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मैं उनलोगों में से नहीं हूं जो यह कहते हैं कि जिनके पास जमीन है उनकी जमीन लेकर दूसरों को दी जाय। लेकिन मैं यह मानने वाला व्यक्ति हूं कि जिन्हें जमीन से कोई संबंध नहीं है उनके पास जमीन नहीं रहनी चाहिए। आप जानते हैं कि कितने लोग भूमिहीन हैं, न उनके पास रहने का घर है न वे दूसरे लोगों की जमीन में बसे हुए हैं। आपने होमस्टेड बिल पास किया लेकिन फिर भी देखा जाता है कि जिसके जमीन में लोग बसे हुए हैं उन्हें हटाने में कोई भी नहीं हिचकता। मैं कहता हूं कि यह न्याय की बात नहीं है, कम-से-कम आप इतना भी नहीं कर सके कि प्रमाण-पत्र द्वारा उन्हें आप अधिकार दे सकें जिस जमीन में वे बसे हुए हैं तो और क्या उम्मीद की जाय। मैं इसकी मान्यता और इसके मकसद का समर्थन करता हूं लेकिन इसके प्रोवीजन का कट्टर विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि कम-से-कम सीलिंग हो जिसमें जमीन सरकार के हाथ में आ सके और भूमिहीनों को जमीन मिल सके। हरिजन एशोसियेशन के द्वारा जो सरकार को सुझाव दिया गया है उसपर सरकार अमल करे और नहीं तो हमारा सुझाव यह है कि भूमिहीन लोगों को सामाजिक न्याय देने के लिये कम-से-कम आधा एकड़ जमीन प्रति व्यक्ति अवश्य दी जाय और उसके बाद जो जमीन बचे उसे जैसा मन में आये करें। मेरा मकसद यह है कि एक भी आदमी इस राज्य में भूमिहीन नहीं रहे। यही मेरा कहना है।

श्री लखन लाल कपूर—अध्यक्ष महोदय, इस बिल के लिए इस राज्य में बहुत दिनों से मांग थी और यह जनमत का सवाल था। लेकिन सरकार ने काफी दिनों के बाद इसे लाने का प्रयत्न किया है।

अध्यक्ष महोदय, जो सीलिंग के पीछे उद्देश्य है उसकी पूर्त्ति प्रस्तुत बिल से होती है या नहीं इसपर सदन के काफी सदस्यों ने अपने-अपने ढंग से अपना-अपना मत प्रगट किया है। मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि शुरू से ही चाहे प्लानिंग कमीशन हो, चाहे लैंड रिफौर्म्स कमिटी हो, चाहे अग्रेरियन रिफौर्म्स कमिटी हो सबों का मकसद एक ही रहा है, सबों ने एक ही सिद्धांत डिस्ट्रीबिउटीव जस्टिस को माना है और सबों ने एक स्वर से इस सिद्धांत को मानकर अपनी-अपनी राय दी। मैं समझता हूं कि वर्त्तमान सरकार ने यह घोषणा की है कि हम सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी कायम करना चाहते हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने देखा कि इस देश में एक नई क्रांति

की लहर उठ रही है, एक नई मान्यता उठ रही है तो उस लहर को दबाने की उनके पास कोई दूसरी दवा नहीं थी, कांग्रेस रूल हिन्दुस्तान में बना रहा इसके लिये उनके पास कोई दूसरी दवा नहीं थी। आज सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का नारा है, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी आज जो युग की पुकार है, डिस्ट्रीव्यूटिव जस्टिस, सामाजिक न्याय जो आज के युग की पुकार है उस पुकार को वे दबा नहीं सकेंगे।

सदन में दो तरह की राय लोगों ने प्रकट की है जिसमें एक है कि डिस्ट्रीव्यूटीव जस्टिस होना चाहिये, प्रत्येक मनुष्य को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, यह युग की पुकार है और दूसरी तरफ यह बोलने वाले थे कि लोगों को डिस्ट्रीव्युटीव जस्टिस नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग डिस्ट्रीव्यूटिव जस्टिस के पक्ष में नहीं हैं जिन्हें कोई विशेष अधिकार प्राप्त है, जिनको विशेष मान्यता है, जिनके पास विशेष शक्ति है इस संसार में जीने की और समाज में अच्छी तरह रहने की। इस तरह दो विचार धारा है इस बिल के ऊपर इस सदन के अन्दर। मैं उनलोगों के खिलाफ हूं और उनका घोर विरोध करता हूं ऐसे लोगों के विचारों का जो चाहते हैं कि लैंड सीलिंग नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत संपत्ति रहनी चाहिए, जमीन का बंटवारा नहीं होना चाहिए या सरकार द्वारा ऐसा नहीं बनाया जाय कि व्यक्तिगत अधिकार पर आक्षेप हो, ऐसे लोगों के खिलाफ मैं हूं जो चाहते हैं कि हदबन्दी न हो, समाज में समता न आए और विषमता बनी रहे, विषमता समाज में बरकरार रहे। इस बिल में हाई सीलिंग की तरफ जिन्होंने दलील दी है मैं उनके विचारों के खिलाफ हूं। इसलिए खिलाफ हूं कि न्याय के दृष्टिकोण से मैं आपके जरिए सदन से कहना चाहता हूं कि संसार में रोटी के लिये सामाजिक स्वतंत्रता के लिए और समाजवाद के लिये उनलोगों के अधिकार के लिए उन्होंने परिश्रम करके संपत्ति का अर्जन किया है ऐसे लोगों के लिए इस संसार में एक इतिहास है। एक युग था जब गुलामी प्रथा सारे संसार में थी। इस गुलामी प्रथा के हजारों नमूने मिलेंगे कि किस तरह से जमीन पर अधिकार रखनेवाले, शोषण करनेवाले, दोहन करनेवाले, ऐसे लोगों के खिलाफ जो गुलामी प्रथा को बरकरार रखना चाहते थे, संपत्ति पर अधिकार रखना चाहते थे, उनके खिलाफ बगावत हुई है, हजारों क्रांतियां हुई हैं। आवश्यकता के मुताबिक ऐसे लोगों ने जिन पर शोषण किया जाता रहा है, अत्याचार किया जाता रहा है, ऐसे लोगों ने बगावत की है। पहले ऐसी क्रांतियां बहुत हुई हैं जो संपत्ति पर जबर्दस्ती अधिकार रखनेवाले थे। प्रत्येक मुल्क में इसके लिए इतिहास है। हमारी जो संपत्ति है, जिस पर हमारा जीवन निर्वाह हो रहा है उस रोटी के सवाल को हल करने के लिए युग से संघर्ष हो रहा है। इसको न्याय की संज्ञा दें या अन्याय की संज्ञा दें लेकिन यह संघर्ष चलता ही रहेगा, इसको दबाने से आप बरी नहीं हो सकते जबतक भूख का इलाज आप नहीं करते हैं। आज जो लोग कहते हैं कि संपत्ति पर अधिकार बनाए रखना चाहिए वैसे लोग अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार करनेवाले वे लोग हैं।

सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि जिस पार्टी के हाथ में आज हुकूमत है, कांग्रेस पार्टी के हाथ में हुकूमत है और इस पार्टी के इतिहास को देखने से पता चलेगा कि क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं। पहले रोटी के सवाल को लेकर कांग्रेस का जन्म हुआ और कांग्रेस की जो रूप-रेखा निकली है वह जमीन के सवाल को लेकर ही। १९१७ में आप जायें जब महात्मा गांधी ने बिहार में चम्पारण में निलहों के अत्याचार के खिलाफ, उनके शोषण के खिलाफ, आन्दोलन चलाया था। इसीके खिलाफ बगावत की गई और आंदोलन तैयार हुआ। जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया।

उसी चम्पारण के आन्दोलन का आधार लेकर हिन्दुस्तान में स्वतंत्रता के प्रोग्राम का जन्म हुआ और सारी शक्ति नेशनल इनडिपेन्डेन्स की तरफ मुड़ गयी। इतनी बड़ी चीज जिसने कांग्रेस को खड़ा किया और कांग्रेस का आधार-शिला बना और जब आजादी मिली उसके पहले भी कांग्रेस कहती रही, जैसा सरयू बाबू ने कहा है कि हम तीन युग से घोषणा करते आए हैं कि जमीन का बंटवारा करायेंगे, सोशल जस्टिस करायेंगे मैं जानना चाहता हूं कि आपने १३ वर्षों में क्या किया और १३ वर्षों के बाद जो चीज आपने लाया है क्या वह घोषणा के अनुरूप है? क्या सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के अनुरूप है। १९३७ में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इकॉनौमिक प्रोग्राम कमिटी बनी थी जिसमें कहा गया था कि जमीन पर सबों का बराबर रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिए, इस संबंध में जल्द-से-जल्द कदम उठाना चाहिए इसलिए कि हिन्दुस्तान में आर्थिक और सामाजिक अवस्था में भीषण परिवर्त्तन लाने की आवश्यकता है। अगर वर्त्तमान स्थिति रही तो हमारा विकास का काम रुक जायगा और हम विकास नहीं कर पायेंगे, यह हमारी आशंका है। जब हमने आजादी हासिल की तो जे० सी० कुमारप्पा की अध्यक्षता में एक अग्रेरियन रिफौर्म्स कमिटी बनी।

जिन्होंने १२ स्टेट का सर्वे कराके एक रिपोर्ट तैयार की और कहा कि लैंड सीलिंग जल्द-से-जल्द होना चाहिये और कम-से-कम कितना हो और ज्यादा-से-ज्यादा कितना हो इसकी भी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि इकॉनौमिक होल्डिन्ग करके देश को आगे बढ़ाना है और एक परिवार के लिये उतनी ही होल्डिंग की जरूरत है कि साल में उसे १,६०० रु० की आमदनी हो जाय। अध्यक्ष महोदय, आज दलील दिया जाता है कि लो सीलिंग से हमारा प्रोडक्शन घट जायगा लेकिन वे इस तरह की हवा दिखाकर असली बात को छिपाना चाहते हैं। जापान एक देश है जहां कम-से-कम सीलिंग रखकर ही अधिक-से-अधिक प्रोडक्शन दिखाया गया है। इसी तरह हिन्दुस्तान जैसे देश में और खासकर हमारे बिहार प्रांत में लो सीलिंग से प्रोडक्शन गिरेगा नहीं बल्कि और अधिक बढ़ेगा। हमारा देश कृषि पर आधारित है इसलिये लो सीलिंग रहने से ही सभी को जमीन मिल सकती है। इस संबंध में मेरा एक और दृष्टिकोण है कि यहां बड़े-बड़े फार्म बनाकर और टेकनिकल औजारों को काम में लाकर अगर हम खेती करते हैं तो यह हमारे लिये ठीक नहीं होगा, कारण कि हमारा मुल्क गरीब है इसलिये बड़े-बड़े औजारों पर रुपया खर्च करना ठीक नहीं होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे यहां बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ जायगी, यह भी हमारे लिये दुर्भाग्य की बात होगी। खेती में लगे हुए लोग बहुत से बेकार हो जायेंगे।

हमारे यहां छोटा-छोटा परिवार हैं और परिवार के सभी लोग अपनी खुशी से काफी मेहनत करते हैं और थोड़ी-सी मिहनत में भी काफी उत्पादन कर लेते हैं। हमारे यहां पूंजी कम है, इसलिये कम जमीन में ही खेती अच्छी तरह से हो सकती है। हमारी पार्टी ने फैसला की है कि कम-से-कम १५ एकड़ और ज्यादा-से-ज्यादा २२½ एकड़ जमीन एक परिवार में रहनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के लोगों ने बताया है और इस बात की तारीफ की है कि दूसरे प्रांतों में अधिक सीलिंग रखी गयी है, आन्ध्र प्रदेश में ५०,४०० का इन्कम साल में एक फेमिली के लिये माना गया है, १२५ एकड़ क सीलिंग रखी गयी है लेकिन बंगाल में ज्यादा-से-ज्यादा २५ एकड़ की सीलिंग है और केरल में १५ एकड़ पांच आदमी के परिवार के लिये हैं, यदि उस परिवार में एक आदमी बढ़ता है तो प्रति व्यक्ति

एक एकड़ की वृद्धि की जा सकती है और चाहे जितने भी आदमियों का परिवार क्यों न हो २५ एकड़ से अधिक की सीलिंग नहीं होनी चाहिये। मेरा कहना है कि वे गलत बात कहते हैं। उन प्रांतों में सीलिंग वैज्ञानिक आधार पर नहीं की गई है, गलत आधार पर की गई है और उससे कोई आउट पुट नहीं निकलनेवाला है।

सीलिंग के पीछे बिहार में एक बहाना छिपी हुई है। कांग्रेस सरकार का दावा है कि वह सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाना चाहती है लेकिन ऐसा वह करती नहीं है। जब चारों ओर से शोर हुआ, लोग मांग कर रहे हैं कि जमीन की सीलिंग होनी चाहिये तब लोगों के मुंह को बन्द करने के लिये यह ऐन्टी-सीलिंग बिल लाया गया है। आप सबको खुश नहीं रख सकते हैं। स्वतंत्र पार्टी ने कांग्रेस सरकार के लिये एक हउआ खड़ा कर दिया है और उसके डर से इस बिल को लाया गया। चंपारण में साठी के चीर हरण करनेवालों से मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं और बिहार की जनता उनसे क्या उम्मीद कर सकती है। कांग्रेस सरकार अपने स्वार्थ की रक्षा करने के लिये इस बिल को लायी है। कहा जाता है कि पंडित नेहरू सोशलिस्ट हैं लेकिन मेरा दावा है कि वे सोशलिज्म के दुश्मन हैं और आगे बढ़ते हुए भारत के रास्ते में वे रोड़ा अंटकाते हैं क्योंकि बिहार सरकार इस तरह का बिल पास करना चाहती है। मेरा कहना है कि कांग्रेस स्वतंत्र पार्टी का सेकेन्ड फ्रन्ट है जो बहुत कमजोर है।

राम जनम बाबू०ने कल कहा था अपने भाषण के क्रम में कि जमीन वही रख सकता है जिसके पास ताकत है। अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि एक जवाबदेह सदस्य एक जवाबदेह पार्टी के जिनके हाथ में हुकूमत है आज इस तरह की बात कहें। इसके पीछे भी बहुत बड़े-बड़े इतिहास हैं। आज जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं अगर उनको आप बालू का ढेर समझना चाहते हैं तो गलत करते हैं, वे बालू के ढेर नहीं हैं वे बारूद के ढेर हैं और सिर्फ देरी है एक चिनगारी उसमें फेंक दी जाय और जिस वक्त चिनगारी उसमें फेंकी जायगी तो क्या नतीजा होगा वह समझ सकते हैं। ट्रेजरी बेंच पर बैठने वाले को फिर नसीब न होगा दुबारे ट्रेजरी बेंच पर बैठने का, लाठियों गोलियों और पुलिस के बल पर जमीन पर वे कब्जा नहीं रख सकेंगे। आप यह भूल जाते हैं कि लंगोटी में कितनी ताकित है, उनका कहना कि अपनी ताकत के बल पर जमीन रखे हुए हैं गलत है, वे गरीब लोगों के भोलापन से लाभ उठाकर, उनकी ईमानदारी से फायदा उठाकर उनसे अपने जमीन छीन ली है लेकिन जिस दिन उनको पता चल जायेगा कि हमें इस तरह से वेवकूफ बनाकर हमारी संपत्ति पर अधिकार कर लिया है, जबर्दस्ती हड़पे हुए हैं और अपनी ताकत के बल पर उसपर जमे हुए हैं, जिस दिन उनको एहसास हो जायगा कि जमीन उनकी है, उनके पास और तो कुछ नहीं है, एक लंगोटी है और एक तीन हाथ का सोंटा है। तीन हाथ का सोंटा की ताकत किसी से छिपी हुई नहीं है।

अध्यक्ष—ये भी अपनी ताकत की बात करते हैं और आप भी ताकत की बात करते हैं।

श्री लषण लाल कपूर—वे लोग भूल जाते हैं कि उनकी ताकत और गरीबों की ताकत में बहुत फर्क है। मैं ऐसे लोगों को चैलेन्ज देना चाहता हूं। लेकिन जो गरीब हैं उनके पास लंगोटी और तीन हाथ का सोंटा है, वे न गोली की परवाह करेंगे

और न पुलिस की, इसके नमूना इतिहास में भरे पड़े हैं, लोगों ने बड़े-बड़े राज्यों को उखाड़ कर रख दिया और यहां भी करेंगे इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये अपनी ताकत की आजमाइश करना चाहते हैं तो हम भी जानते हैं कि ताकत की आजमाइश कैसे और किस तरह की जाती है। बिहार की जनता, करोड़ों जनता जो युगों से शोषित हैं, पीड़ित हैं जिनकी आंसू से बिहार की सरजमीन पट गई है, वे एक अंगड़ाई लेंगे और फिर बिहार ही में नहीं सारे हिन्दुस्तान में जो युग की मांग है, जो जनता की मांग है, ज्वाला बनकर सचमुच में चिनगारी बनेगी और फिर बारूद को जला देगी और फिर आगे चलकर सारी चीजें संभल जायगी। तो हम इन शब्दों के साथ ऐंटी-सीलिंग बिल जो ऐंटी सोशल है, अनसाइन्टिफिक है और आपने जिसे अपने युग की मांग के खिलाफ पेश किया है, विरोध करता हूं। अगर आपने इस युग की बढ़ती हुई बीमारी की दवा नहीं की तो फिर एक ऐसी बगावत की आग भड़केगी कि आज न कल आप इसे स्वयं करेंगे और नहीं तो आपके हाथों से जबर्दस्ती छीनेंगे और आप जो अजगर के सदृश फण डाल कर इसे घेर रक्खा है, फण को तोड़ कर अलग कर देंगे, विष को पी जायेंगे और जमीन का मालिक बनेंगे। एक दिन आवेगा जब कि समाज में जो बीच में पड़े हुए हैं उनको हटा देंगे और जमीन उन्हीं की होगी जो खून और पसीना एक कर के धरती से अनाज पैदा करते हैं और फिर भूख की ज्वाला को मिटायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस ऐंटी-सीलिंग बिल का विरोध करता हूं।

*श्री मोहिउद्दीन मोख्तार—अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल को सेलेक्ट कमिटी में भेजने

के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि इस बिल के जरिये सिर्फ हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनियां में बिहार का नाम होगा। हमारी संस्कृति आज से नहीं बल्कि पुराने जमाने से संसार के सामने सफल रही है और जहां तक जमीन की हथबंदी का प्रश्न है यह समयानुसार सुधार इसमें होता आया है। वैशाली की ओर आप देखें, कोशल का उदाहरण हमारे सामने है और अकबर के समय भी इस तरह के भूमि सुधार कानून बनाये गये।. यह भूमि सुधार का काम कोई नई चीज हिन्दुस्तान के लिये नहीं है बल्कि वदिक काल से यह क्रम चलता आया है कि जैसी परिस्थिति रही उसके मुताबिक भूमि हदबंदी में सुधार किये गये। आज हमें न रूस की ओर देखना है और न चीन की ओर, आज हालत यह है कि हम गुलामी की जंजीर में बंधे रहने के कारण हमारी प्रवृत्ति हो गयी है कि हम दूसरों की ओर मुंह ताके लेकिन आज हम आजाद हैं और यह हमारे लिये उचित नहीं है कि हम दूसरों की ओर देखें। आज समय आया है कि भूमि सुधार हम करें। यह कहा जाता है कि यह सोशलिस्टिक पैटर्न पर आधारित सीलिंग बिल नहीं है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो आदमी कृषि पर निर्भर करता है और खेती से अपनी जीविका का अर्जन करता है और उसके पास कोई साइड बिजनेस नहीं है उन्हें अगर एक एकड़ या आधा एकड़ जमीन आप देंगे तो उनकी परवरिश कैसे होगी। इसका मतलब यही है कि एक को उठाकर दूसरे को बर्बाद करना हुआ।

अध्यक्ष—ज्यादा जमीन रखनेवालों को कम करना चाहते ही हैं।

श्री मोहिउद्दीन मोख्तार—यह तो बात नहीं है कि सब जमीन छीन ली जायगी।

बहुत से ऐसे आदमी हैं जो तरह-तरह के पेशा करते हैं। कोई खेती करता है और

कोई दूसरा रोजगार करता है। क्या सरकार चाहती है कि वह एक होटल खोल दे जिसमें सब लोग जाकर खाना खायेंगे। यह तो बात नहीं है कि जो आदमी एक पेशा करता हो वह दूसरे दिन दूसरा पेशा नहीं कर सकता है। सरकार की ऐसी मंशा नहीं है कि एक का जमीन छीनकर दूसरे को दे दे। आज एक रिक्शा चलानेवाला तीन रुपया रोज कमाता है और दूसरे लोग हैं जो हजार रुपया कमाते हैं। उनपर कुछ बन्धन नहीं है। यदि सीलिंग १० एकड़ पर फीक्स होता है तो मैं कहना चाहता हूं कि उसका सालाना इन्कम क्या हो सकता है। उसी तरह से २० एकड़ की भी आमदनी का अन्दाजा लगा सकते हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि ३० एकड़ से कम नहीं होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सीलिंग सोआयल पर भी फीक्स करना चाहिये। आप जानते हैं कि बिहार में तरह-तरह के सोआयल हैं। जो मुजफ्फरपुर का सोआयल है और जो मोतिहारी का है वह पूर्णिया का नहीं है। वहां का सोआयल और जिलों से खराब है। इसलिये पूर्णियां जिला के लिये अलग सीलिंग होना चाहिये और सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

एक और बात की ओर सरकार का ध्यान आपके माध्यम से खींचना चाहता हूं। और वह यह है कि किसी की जमीन रेल के लिये और किसी पब्लिक परपस के लिये लिया जाय तो उसको जमीन के बदले जमीन मिलन चाहिये। इस तरह का प्रोवीजन इस बिल में नहीं है। सरकार को इस तरह का प्रोवीजन करना चाहिये। दूसरी बात यह है कि जब सीलिंग फीक्स कियां जाय तो रिजम्पशन का भी इन्तजाम होना चाहिये। बोर्डर एरिया के जो लोग हैं उनको डबल फायदा हो जाता है। इधर बिहार का हिस्सा मिला और उधर बंगाल से भी मिला।

इस तरह बंगाल से और बिहार में दोनों जगह उनको सीलिंग के अनुसार जमीन मिल जायगी। हमारे जिला में आदिमनगर और बारसोई के इलाके में ऐसे लोग हैं जो काफी जमीन रखे हुए हैं लेकिन अपने खेती नहीं करते हैं लेकिन किताबों में उनका नाम दर्ज है। अगर रिजम्पशन का क्लॉज रखा जायेगा तो गरीब खेतिहर लोगों को बड़ी दिक्कत होगी और वे खेत से उजड़ जायेंगे।

जो लोग मिताक्षरा कानून से गवर्न होते है उनके लिये प्रोवीजन दूसरा है और जो दूसरे कानून जैसे दयाभाग से गवर्न होते हैं उनके लिये यह प्रोवीजन है कि यदि सीलिंग से फाजिल जो जमीन हो उसको वे लड़के को गिफ्ट दे सकते हैं। जब यह सेकुलर स्टेट है तो सबों के लिये एक तरह का व्यवहार होना चाहिये। जो लोग मुस्लिम लॉ से गवर्न होते हैं उनके साथ दूसरा व्यवहार क्यों होता है।

श्री विनोदानन्द झा—जहांतक क्लॉज ३ के सब-क्लॉज (५) का संबंध है दयाभाग

में जो कर्त्ता है वह ऐबसल्युट ओनर है और यही कारण है कि बंगाल सीलिंग बिल में २५ एकड़ रखा गया है। हमलोगों को यही राय मिली। यदि कोई ऐसा सुझाव मिले कि सबको एक ही जगह रखकर काम चल जाए, तो सरकार ऐसे सुझाव पर विचार करेगी।

श्री मोहिउद्दीन मुख्तार—इस बिल के जरिये जो जमीन मिलेगी उसको पंचायत

बोर्ड के मारफत या को-आपरेटिव फार्मिंग के जरिये गृहस्थी की जायगी। इसमें जिसको

इन्टरेस्ट होगा, जो काम कर सकेगा वही खेती कर सकेगा। जो आदमी चाहेगा कलक्टर के पास दरखास्त दे सकता है और एक वर्ष के बाद देखा जा सकता है कि वह खेती कैसे करता है। इसके अलावा गांवों में देखा गया है कि जो खेती में मदद नहीं करते हैं उनको भी इस तरह की स्कीम होने से मदद देना पड़ेगा। इसमें वह ढिलाई नहीं कर सकते हैं। सवाल यह है कि जिनको आसक्ति नहीं रहती है खेती से वह ढिलाई करते हैं। बचपन में हमलोग किताब में पढ़ते थे कि एक चिड़िया थी जिसको दो गले थे और मुंह एक था। अच्छी-अच्छी चीज एक गला से पेट के अन्दर जाता था। दूसरे गला को ईर्षा हुई और उसने जहर खा लिया। नतीजा यह हुआ कि पक्षी मर गया। उसी तरह से जमीन अगर बांट दी जायेगी तो इतनी कम जमीन मिलेगी कि जो कम जमीनवाला है वह तो मरेगा ही लेकिन जिसके पास जमीन है उसका भी निर्वाह उससे नहीं होगा। इसलिये बहुत सोच समझकर यह बिल लाया गया है और जो प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री देवनन्दन प्रसाद—अध्यक्ष महोदय, जो बिल अभी यहां पेश है उसके मकसद के मैं साथ हूं लेकिन इसमें दो तरह की बातें चल रही हैं। एक तो यह है कि सीलिंग करने से फंडामेंटल राइट भंग होता है और दूसरी बात यह है कि सीलिंग कर देने ही से और जमीन को बांट देने ही से खाद्य की समस्या हल नहीं होगी। मैं भी समझता हूं कि खाद्य की समस्या और अन्न संकट एक राष्ट्रीय सवाल है और यह सवाल ऐसा है कि इसको हल करना जरूरी है। इस समस्या को हल करने के लिये पंचशाला योजनाएं बनीं। पहली योजना समाप्त हो गयी और अब दूसरी भी समाप्त होने जा रही है। लेकिन यह सवाल हल नहीं हो सका। बात यह है कि जो योजना बनायी जाती है उसको अन्न संकट के सवाल को हल करने के ख्याल से नहीं बनायी जाती है। असल सवाल है नीति का, सिद्धांत का। जो नीति योजना बनाने के संबंध में अपनायी जाती है उसमें गड़बड़ी है जिसकी वजह से अन्य संकट का सवाल हल नहीं हो पाता है। लेकिन लोग तर्क देते हैं कि बड़ा-बड़ा फार्म बनाकर खेती करने से, दो सौ, पांच सौ बीघा जमीन देकर हम अच्छी से अच्छी खेती कर सकते हैं, ज्यादा-से-ज्यादा पैदा कर सकते हैं, वैज्ञानिक ढंग से यंत्र इस्तेमाल कर सकते हैं रसायनिक खाद और अच्छे बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं और ज्यादा-से-ज्यादा अन्न उपजाकर इस राष्ट्रीय सवाल को हल कर सकते हैं। लेकिन हम असलियत में जाते हैं तो पता चलता है कि उनका कहना ठीक नहीं है। इसका क्या कारण है? सब से पहली बात यह है कि अगर बड़े-बड़े फार्म के लिये जमीन एक आदमी के हाथ में दे दी जाती है तो थोड़े में पैदा हो जाने पर जैसे अगर दो मन फी एकड़ हुआ तो दो सौ एकड़ में चार सौ मन पैदा हो जाता है उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इस तरह उस आदमी की जरूरत पूरी हो जाती है और इससे वह ज्यादा पैदा करने की कोशिश नहीं करता है। दूसरी चीज यह है कि ज्यादा पैदा करने की उसमें प्रेरणा नहीं रह जाती। एक वजह यह है कि बड़ी-बड़ी खेती होने के बाद भी ज्यादा फसल नहीं होती है। दूसरी चीज जो कही जाती है वह यह है कि साधारण लोगों के हाथ में जब खेती रहेगी तो उनके पास रसायनिक खाद्य और वैज्ञानिक यंत्रों के लिये जो साधन चाहिये वह नहीं रहेगा और उनमें इतनी क्षमता नहीं रहेगी कि तरह-तरह के खाद्य और यंत्रों का इस्तेमाल कर सकें और यह

भी कहा जाता है कि खेती बड़े-बड़े फार्मों के जरिये होगी तो सरकार उनकी जरूरत को पूरी करने के लिये सहायता दे सकेगी। अभी जो ऐग्रिकल्चरल कर्ज बड़े-बड़े किसानों को दिया जाता है उसका व्यावहारिक रूप गांवों में जो देखने में आता है वह यह है कि खेती के काम में वह रुपया नहीं लगाकर उससे लोग मनी लेंडिन्ग बिजनेस करना शुरू कर देते हैं और सूद से रुपया कमाते हैं। वे देखते हैं कि इससे ज्यादा फायदा है बनिस्पत खेती करने के। इसलिये वे खेती में नहीं लगाते हैं। तो सवाल बड़े-बड़े और छोटे-छोटे किसानों का नहीं है। जब जमीन के बंटवारे की बात की जाती है तो उस सिलसिले में माननीय सदस्य चीन और रूस का हवाला देते हैं और कहते हैं कि चीन में छोटे-छोटे किसानों में खेती का बंटवारा कर दिया गया तो महसूस किया गया कि ज्यादा टुकड़े हो जाने से फायदा नहीं होता है। इसलिये जमीन को एक जगह कर दिया जाय। को-ऑपरेटिव ढंग से खेती करने में फोर्स का इस्तेमाल किया गया और उसमें खुन-खराबी हुई, लोग मारे गये। इस संबंध में जो बात चीन में हुई है उसको पढ़कर मैं सुनाता हूं:—

> "The development of co-operation in agriculture must be guided, everywhere and at all times, by the basic principle that it should be voluntarily accepted by the peasants. It is absolutely impermissible to try to carry out the Socialist transformation of small-peasant economy merely by issuing a call from above. Still less is it permissible to order or force the poor and middle peasants to join the co-operatives, or to take away their means of production and put them under collective ownership. Compulsion, commandism (bossiness) and expropriation of the peasants' means of production are criminal acts."

जहां लोग समझते हैं इस तरह से कम्पलशन जेनरल है वहां कम्पलशन किया जायगा; ऐसा हम लोग महसूस नहीं करते हैं ऐसी बात नहीं है। सहयोग से खेती की बात जो अभी की जा रही है उसमें सरकार की ओर से जनता को प्रोत्साहन मिलेगा। छोटा किसान यह महसूस करेगा कि सहयोग द्वारा खेती होने से बहुत सहूलियत मिलती है।

अभी जिस किसान को एक बैल है वह दूसरे से बैल लेकर उनको सहयोग से खेती करवाता है। इस तरह से छोटे-छोटे किसान खुशी से खेती करते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जो बड़े किसान हैं वे भले ही सहयोग से खेती करना नहीं चाहें पर छोटे-छोटे किसान तो इसको जरूर चाहेंगे। समाज में जो अभी विषमता है वह हदबंदी के बाद ही दूर किया जा सकता है। इसलिये धन की समस्या को हल करने के लिये जमीन का बंटवारा करना जरूरी है और इसके बाद इन खेतों को सहयोगी खेती में लाना होगा। ऐसा करना जरूरी है।

अभी भारत में फोर्ड फाउंडेशन (Ford foundation) की ओर से एक अमेरिकन ऐग्रीकल्चर स्पेशलिस्टों की एक टीम काम कर रही है। यह भारत के अन्न

की, खुराक की समस्या को सुलझाने के लिये काम कर रही है, इनके प्रधान हैं श्री डगलस इन्समिगर। उनका कहना है कि भारत में जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है इसके चलते ५ या ६ वर्षों में

"India will soon, in some five or six years, be short of about 20 million tons of food. This is more than can possibly be supplied by any conceivable form of rationing or imports."

यह अमेरीकन एक्सपर्टस का ख्याल है। इसका उपाय है केवल अन्न की समस्या को हल करना जो जमीन का बंटवारा करने से हल हो सकता है। इसके बाद उस जमीन में सहयोग से खेती करवाना चाहिये।

अध्यक्ष—अब प्रश्नोत्तर का समय हो गया।

पटना :
तिथि ५ मई १९६०।

इनायतुर रहमान,
सचिव,
बिहार विधान सभा।